

भारतीय नैऋत्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

₹.10

Rs.10



CANCELLED

NOTARIAL

निरस्त किया
NOTARIAL

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S/No. क्रमांक 1413. Yr वर्ष 2004. 37AC 721364

समस्त

श्रीमान् रिटनिंग अफिसर
77 वाराणसी संसदीय वाराणसी

शपथपत्र

मे महेंद्र पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम झोखानीपुर पोस्ट
बलुआ गढ़ापुर थाना बडागाँव तहसील पिपड़ा जिला
वाराणसी शपथपत्र निम्नलिखित बयान करता हूँ ->

783



Handwritten signature

GOVT. OF INDIA

"प्ररूप 26"
(नियम 4क देखिए)



77 वाराणसी संसदीय (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
निर्वाचन क्षेत्र से सससद (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अग्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं मेहनूद **पुत्र/पुत्री/पत्नी रमाशंकर
आयु 57 वर्ष, जो ग्राम शेखावासीपुर पोस्ट बेलगाँव राजापुर थाना बसगाँव तहसील
पिण्डा जिला वाराणसी (डाक का पूरा पता लिखें) का/का निवासी हूँ
और उपरोक्त निर्वाचन से अग्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर
निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

- (1) मैं एक स्वतंत्र अग्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (**सजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अग्यर्थी / **एक स्वतंत्र अग्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(**जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम 384 पिण्डा वाराणसी विधानसभा क्र० 50 (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या 30 के क्रम संख्या 14 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं० 9810172629 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) शून्य है और मेरा/मेरे सोशल मिडिया एकाउन्ट शून्य है/हैं।
- (4) स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) के व्यौरे और आय कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :-

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1.	स्वयं मेहनूद	शून्य	शून्य	शून्य
2.	प्रति या पत्नी शशि कला मिश्रा	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4.	आश्रित-2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5.	आश्रित-3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



मेहनूद
[Signature]

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अगियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अगिराक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अगियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	लागू नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और (अपराध) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं होता
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं होता
(च)	क्या सगी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सौकी गई है/हैं।	लागू नहीं होता

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से गिन्ना] :-

(क)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(ख)	उन मामलों के व्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	लागू नहीं होता
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गयी अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के व्यौरे	लागू नहीं होता

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से गिन्ना के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :-



मेरे

यदि अधिराक्षी उपयुक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो यह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के व्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गयी थी/है। यदि हां, तो अपील के व्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	नून

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितोंकी आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के व्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के व्यौरे :

- टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
- टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित व्यौरे दिए जाने हैं।
- टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचर्स का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
- टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75 क के अधीन समष्टीकरण (5) में है।
- टिप्पण 5 - रकम सहित व्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति-या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	हाथ में नकदी	₹ 50,000/-	₹ 5000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक खातों में जमा के व्यौरे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा राशियाँ प्रत्येक जमा में	1) ₹ 15867539 14-4-14S85 वि.प्र.शाखा सं. 32 के.पी.ए. बिल्डर ग्रेटर नोएडा, यू.पी. 2) ₹ 1600/- 4-7-2009 के.आ.आ.इ.डिया शाखा लहरासा वाराणसी 3) ₹ 39000/प्रतिमा 10-2-2002 के.पी.ए. बिल्डर ग्रेटर नोएडा, यू.पी. नाम सं. वि.प्र. 2 4) ₹ 15000/- 5-4-14 आई.सी.आई.सी. बैंक के.आ.आ.इ.डिया के.पी.ए. बिल्डर ग्रेटर नोएडा, यू.पी.	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



16/5
[Signature]

	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	गैर कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	360 वर्ग फुट	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	रु० 2 लाख	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii)	वाणिज्यिक गवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



16/5

[Handwritten signature]

जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
आय कर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्कलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं कृषि कार्य (खेती)

(ख) प्रसि या पत्नी घरेलू महिला (ग्रहणी)

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है : डॉक्टरेट के पी. एच. डी. कॉलेज इलाहाबाद 2017
(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



103
D. [Signature]

(11) भाग क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अग्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कु० मेहेंद्र				
2.	डाक का पूरा पता	ग्र. शेरतमीपुर पोस्ट बलआगजापुर तारणसी				
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र प्र०				
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अग्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र				
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [(ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से गिनने)]	लागू नहीं होता				
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)]	शून्य				
7.		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए आयकर विवरणी फाइल की गई है	जिसके अंतिम विवरणी	कुल दर्शित आय	
	(क) अग्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	(ख) प्रति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	(ग) आश्रित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
8.	आरितियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)					
क्रम सं.	विवरण	रकम	प्रति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
क.	जंगम आरितियां (कुल मूल्य)	रु० 26,10,275/-	रु० 47,800/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
ख.	स्थावर आरितियां		शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
I	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	रु० 18,50,000/-	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
II	क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
की	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
III	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	रु० 50,00,000/-	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(क) स्वार्जित आरितियां (कुल मूल्य)	रु० 50,00,000/-	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(ख) विरासती आरितियां (कुल मूल्य)	रु० 8,00,000/-	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



21/4/14

प्र०
[Handwritten signature]

9.	दायित्व	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है, मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से गिना कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आसित या दायित्व से गिना कोई आसित या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 21-4-2014 को सत्यापित किया गया

MBS
अभिसाक्षी

- टिप्पण 1 : शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण 2 : शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण 3 : सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण 4 : शपथ पत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ साफ लिखित होना चाहिए।



शपथपत्र को सत्यापित किया गया 21/4/14
 Sworn by Deponent before
 Counsellor in Education
 K. Srivastava, Notary Public
 21/4/14